India Justice Report | 2025

प्रकाशन प्रतिबंध: गुरुवार, 20 नवम्बर 2025, प्रातः 11 बजे तक

50,000 से अधिक 'विधि विवादित बच्चों' का न्याय के लिए इंतजार
31 अक्टूबर *2023* तक *362* किशोर न्याय बोर्डों *(JJB)* में *55%* केस लंबित थे।

- हर चार में एक *JJB* में पूर्ण पीठ का अभाव
- *14* राज्यों में सुरक्षित स्थान मौजूद नहीं हैं
- बाल देखरेख संस्थानों *(CCI)* में जरूरी निरीक्षण-दौरों की कमी
- जानकारी देने वाले *292* जिलों में बालिकाओं के लिए केवल *40 CCI*
- किशोर न्याय के लिए राष्ट्रीय डेटा ग्रिड की कमी, सभी जानकारी *RTI* से प्राप्त

24 नवंबर **2025,** नई दिल्ली। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा *"*किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे*:* जमीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन*"* नामक रिपोर्ट को आज जारी किया गया। भारत में पहली बार इस तरह का कोई अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि 31 अक्टूबर 2023 तक **362** किशोर न्याय बोर्डों **(JJB)** में आधे से अधिक **(55%)** केस लंबित थे। देश के **765** जिलों में से **92%** में JJB गठित है, जो 'विधि विवादित बच्चों' (Children in Conflict with Law) के केसों के लिए आधिकारिक प्रभारी न्यायिक निकाय है। पूरे देश में लंबित केसों में काफी असमानता है। ओडिशा में **83%** तो कर्नाटक में **35%** केस लंबित हैं।

'क्राइम इन इंडिया 2023' के अनुसार, IPC (भारतीय दंड संहिता) और SLL (विशेष और स्थानीय कानूनों) के तहत **31,365** मामलों में **40,036** किशोरों को पकड़ा गया। इनमें से हर चार में तीन बच्चे 16–18 वर्ष के थे। IJR के अध्ययन से पता चलता है कि JJ Act 2015 के लागू होने के एक दशक बाद भी, बाल-केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने वाली यह विकेंद्रित प्रणाली गंभीर कमियों से जूझ रही है। इसमें एजेंसियों के बीच समन्वय और आंकड़ों को साझा करने की कमी बरकरार है। 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड' की तर्ज पर JJB, CCI और विधि विवादित बच्चों से संबंधित केसों की जानकारी के लिए सार्वजनिक आंकड़े रखने वाली केंद्रीय संस्था नहीं है। इसीलिए IJR को अपने अध्ययन के लिए 250 से अधिक RTI दाखिल करनी पड़ी। 21 राज्यों[1] से प्राप्त RTI प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि 31 अक्टूबर 2023 तक JJB ने **100,904** लंबित मामलों में से आधे से भी कम का निपटारा किया था।

किशोर न्याय प्रणाली में बड़े स्तर पर रिक्तियां हैं (24% JJB पूर्ण रूप से गठित नहीं थे), कानूनी सहायता अपर्याप्त है (30% JJB के साथ 'विधिक सेवा क्लिनिक' संलग्न नहीं थे), और महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है। औसतन, प्रत्येक JJB में **154** मामले प्रतिवर्ष लंबित रहे। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों की निगरानी और सरकारी अनुदान की कमजोर व्यवस्था ने किशोर न्याय व्यवस्था के कार्यान्वयन में गंभीर बाधाएं खड़ी की हैं। 166 बाल देखरेख संस्थानों (CCI) या गृहों, 14 राज्यों[2] और जम्मू और कश्मीर में 1,992 अनिवार्य निरीक्षण में से केवल 810 निरीक्षण ही किए गए।

[1] अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
[2] अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

Centre for Social Justice | COMMON CAUSE | CHRI | DAKSH | TISS | PRAYAS | VIDHI Centre for Legal Policy | Data/Design Partner: HowINDIALives

IJR ने चार नोडल एजेंसियों- राज्य पुलिस मुख्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के समक्ष किशोर न्याय प्रणाली की क्षमता को जांचने के लिए 16 प्रश्न तैयार किए। हमें 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 530 जिलों से 500* से अधिक जवाब प्राप्त हुए। इनमें हमारे 11% RTI आवेदन सीधे खारिज कर दिए गए, 24% ने कोई उत्तर नहीं दिया, 29% आवेदनों को जिला स्तर पर भेज दिया गया। केवल 36% जवाब राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए। यह बताता है कि सार्वजनिक आंकड़ों को साझा करने और पारदर्शिता की प्रवृति कितनी कमजोर है।

*प्राप्त *500* प्रतिक्रियाओं में राज्य नोडल प्राधिकरण, जिले और व्यक्तिगत बाल देखरख संस्थान और पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्राधिकरणों को स्थानांतरित किए गए आवेदन भी शामिल हैं।

माया दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने कहा, "विशेष रूप से डिजाइन की गई किशोर न्याय व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है। इसका प्रभावी संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस स्टेशनों और देखरेख संस्थानों जैसे संस्थानों से जानकारी नियमित रूप से ऊपर की ओर यानी जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करने वाली संस्थाओं तक पहुंचे। लेकिन IJR के अनुभव बताते हैं कि निगरानी की जिम्मेदार संस्थाओं को न तो नियमित आंकड़े मिलते हैं और न ही वे इन्हें मांगते हैं। अधूरे और अनियमित आंकड़े ही निगरानी को अनियमित और जवाबदेही को कमजोर बनाते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने टिप्पणी की, "IJR का अध्ययन हमारे किशोर न्याय व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर करता है। JJ एक्ट, 2015 के दस वर्ष बाद भी यह चिंताजनक है कि एक चौथाई JJB में पूर्ण पीठ गठित नहीं है और बाल देखरेख संस्थानों में स्टाफ की भारी कमी है। इसका उन सभी बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो भी किशोर न्याय व्यवस्था के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी, मेरा प्रयास रहा कि विधि विवादित बच्चे हों या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए न्याय और अधिकारों पर संवाद को हमेशा प्रोत्साहित किया जाए, उनकी जीवन स्थितियों में सुधार किया जाए और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को मानवीय और संवेदनशील बनाया जाए, जिसका लक्ष्य पुनर्वास और पुन:एकीकरण हो। किशोर न्याय पर केंद्रित आंकड़ों को नियमित रूप से एकत्रित और प्रसारित करने के लिए विशेष प्रयास होना चाहिए। RTI से प्राप्त अपर्याप्त और असंगत आंकड़े चिंता का विषय हैं। यह आवश्यक है कि विशेष राष्ट्रीय डेटा ग्रिड बने जिसमें किशोर न्याय प्रणाली के कामकाज से संबंधित सूचनाएं हों। सभी संबंधित संस्थान बच्चों से जुड़ी अपनी कार्यप्रणाली के मानकीकृत आंकड़े नियमित रूप से प्रकाशित करें। जब तक ये आंकड़े तैयार नहीं होते और उपयोग में नहीं लाए जाते, तब तक किशोर न्याय प्रणाली वास्तव में बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं कर सकती।"

मानक और **RTI** के जवाब**:**

संस्थान	मानक	वास्तविकता	राज्यों से प्राप्त **RTI** जवाब	स्रोत
किशोर न्याय बोर्ड (JJB)	प्रति जिले में 1	92%	सभी राज्य (28 राज्य + 2 कें.शा.प्र.)	RTI
विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)	प्रति जिले में 1	78% (642/ 821 पुलिस जिले)	23 राज्य + 2 कें.शा.प्र.	RTI

SJPU में सामाजिक कार्यकर्ता	प्रति SJPU में 2	70% (306/436 SJPU)	11 राज्य + 1 कें.शा.प्र.	RTI
विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी (LCPO)	प्रति जिले में 1	236 जिलों में 197 LPCO	13 राज्य + 1 कें.शा.प्र.	RTI
विधिक सेवा क्लिनिक	प्रति JJB में 1	437 में से 305 JJB	18 राज्य + 2 कें.शा.प्र.	RTI
चिकित्सा अधिकारी	हर गृह में कम से कम एक डॉक्टर कॉल पर उपलब्ध हो	128 केंद्र में 28	14 राज्य +दिल्ली	RTI
पर्यवेक्षण गृह	प्रति जिले या जिले के समूहों में 1	765 में 319	28 + 2 कें.शा.प्र.	लोकसभा, मार्च 2024
सुरक्षित स्थान	प्रति राज्य में कम से कम 1	765 में 40	28 + 2 कें.शा.प्र.	लोकसभा, मार्च 2024

मुख्य बातें

इन्फ्रास्ट्रक्चर

- JJ एक्ट के अनुसार 18 राज्य[3] और जम्मू-कश्मीर के हर जिले में 1 JJB था।
- दिल्ली में कथित रूप से अपराध करने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक (42%) होने के बावजूद इसके 11 जिलों में केवल सात JJB थे। यह प्रति जिले में एक बोर्ड के कानूनी प्रावधान से कम है।
- ओडिशा (30 जिलों में 34 JJB) और कर्नाटक (31 जिलों में 34 JJB) में उनके जिलों की संख्या से अधिक JJB हैं।
- चार में से एक JJB (470 में से 111 बोर्डों के जवाब के अनुसार) में तीन सदस्यों- एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यक की पूर्ण पीठ मौजूद नहीं थी। केवल तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- ओडिशा, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर ने पूर्ण पीठ गठित की।
- 14 राज्यों[4] में सुरक्षित स्थान नहीं थे, जहां 16 से 18 वर्ष के उन बच्चों को रखा जा सके जिन पर जघन्य अपराध का आरोप हो या जिन्होंने ऐसे अपराध किए हों।
- गोवा एकमात्र राज्य था जिसने बताया कि उसके दोनों जिलों में पर्यवेक्षण गृह हैं, जहां बच्चे को जांच लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से भेजा जाता है। राजस्थान ने 42 में से 40 जिलों में ऐसे गृहों की मौजूदगी बताई, जबकि मिजोरम और महाराष्ट्र में जिलों से अधिक पर्यवेक्षण गृह थे।

[3] गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
[4] आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

स्टाफ

- 218 विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) में स्वीकृत 436 सामाजिक कार्यकर्ताओं के पदों में से 30% रिक्त थे।
- RTI का जवाब देने वाले 437 किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में से 30% के पास कोई विधिक सेवा क्लिनिक नहीं थे। पांच राज्यों- मिज़ोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और दिल्ली ने बताया कि हर किशोर न्याय बोर्ड के पास एक क्लिनिक है।
- 15 राज्यों[5] ने बताया कि 128 संस्थानों में केवल 28 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। लगभग 80% संस्थानों ने बताया कि उनके पास कोई चिकित्सा कर्मचारी/डॉक्टर नहीं है।
- 15 राज्यों[6] में, 128 संस्थानों में केवल 82 प्रभारी अधिकारी (संस्थान के पूर्णकालिक अधीक्षक) कार्यरत हैं।

विशेष विश्लेषण: समुचित आंकड़े उपलब्ध कराने वाले **292** जिलों के डेटा पर आधारित

विधि विवादित बच्चों के लिए जेजे एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए IJR ने 292 जिलों के आंकड़ों पर आधारित अध्ययन किया। इन जिलों ने तुलनात्मक रूप से अधिक जानकारी प्रदान की, जो अनुपालन की उपस्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त थी। इसने बाल देखरेख संस्थान (CCI) की उपस्थिति; JJB की उपस्थिति और उनकी संरचना (एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य है); एक SJPU जिसमें प्रत्येक थाने से कम से कम एक CWPO और दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य है) शामिल हों; JJB से संबद्ध एक विधिक सेवा क्लिनिक; एक विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी की उपस्थिति; संस्थानों में स्टाफ; मामलों के कार्यभार का आकलन किया।

292 जिलों के विश्लेषण की मुख्य बातें:

- 292 में से 258 जिलों ने JJB की संरचना की जानकारी दी। इनमें से 220 में कानूनी प्रावधान के अनुसार पूर्ण पीठ मौजूद थी।
- केवल ओडिशा, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सामाजिक कार्यकर्ता स्तर पर कोई रिक्ति नहीं थी।
- 292 जिलों में से सिर्फ 40 जिलों में बालिकाओं के लिए CCI मौजूद थे। नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम ने लड़के-लड़कियों के लिए मिश्रित संस्थान की रिपोर्ट दी।
- 171 संस्थानों में से केवल 19 में डॉक्टर थे। असम, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम के प्रत्येक पर्यवेक्षण गृह में एक डॉक्टर था। हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में कोई डॉक्टर नहीं था।
- 171 में से केवल 70 संस्थानों में परामर्शदाता थे।
- कुल 110 पर्यवेक्षण गृहों में से केवल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में ही प्रत्येक पर्यवेक्षण गृह में एक परामर्शदाता था।
- 292 जिलों में केवल 142 विधिक-सह-पर्यवेक्षण अधिकारी (LCPO) थे। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और ओडिशा में प्रत्येक जिले में एक LCPO था।

[5] असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
[6] उपरोक्त।

India Justice Report | 2025

बजट: मिशन वात्सल्य के लिए सर्वाधिक आवंटन; 2025 के केंद्रीय बजट का 0.03% ही रहा

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन वात्सल्य 'कोई बच्चा पीछे न रह जाए' के लक्ष्य के साथ किशोर न्याय देखरेख और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देता है। केंद्र सरकार इसमें 60% धनराशि का योगदान करती है और शेष हिस्सा राज्यों द्वारा दिया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में 90% योगदान केंद्र द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, राज्य अपने यहां एक किशोर न्याय कोष (JJ फंड) भी स्थापित कर सकते हैं।

IJR के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों के बजट में विधि विवादित बच्चों (CCL) और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (CNCP) के लिए अलग-अलग कोष की गंभीर कमी है। वर्ष 2025-26 में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण को केंद्रीय बजट का मात्र 0.03% (₹1500 करोड़) प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में आवंटन में 8% की वृद्धि हुई और यह 2020-21 के बाद से इस योजना के लिए सर्वाधिक बजटीय आवंटन था।

किशोर न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए सिफारिशें

केंद्र और राज्य सरकारें किशोर न्याय प्रणाली के लिए आवंटन बढ़ा रही हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में उपलब्ध सीमित संसाधनों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाए। *IJR* की रिपोर्ट के आधार पर, हमने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

- महत्वपूर्ण कमियों को दूर करें, स्वीकृत पद भरे जाएं और प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति हो ताकि *JJ* प्रणाली की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा सके।
- एक मजबूत केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखें जिससे केसों की जानकारी मिले और उसमें पुलिस, *JJB* और बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थानों की कार्यवाहियां भी देखी जा सकें, ताकि इन सभी की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- दक्षता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और *JJB*, पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवीक्षा अधिकारियों आदि के लिए संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित होनी चाहिए।
- जेजे एक्ट की धारा *55* और जेजे मॉडल नियम, *2016* के नियम *42* के अनुसार संस्थाओं का समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए।
- मिशन वात्सल्य दिशानिर्देशों के अनुसार विधिक एवं परिवीक्षा अधिकारियों के पदों को तत्काल आधार पर भरा जाए।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

वलय सिंह
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट *(indiajusticereport.org)*
E: valaysingh@gmail.com
M: 9717676026